बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

04/11/25

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित पत्रावली का अध्ययन किया गया तथा प्रार्थी वकील की बहस पर मनन किया गया प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शा० कि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

राजस्थान — सरकार

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, बहरोड, जिला, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– **रामकिशोर मीणा**
(R.A.S.)

राजस्व प्रा0 पत्र सं. :– 43
तारीख दायर :– 02 / 07 / 2025
तारीख निर्णय :– 04 / 11 / 2025

|| उनवान ||

1 **नरेश कुमार पुत्र श्री** मातादीन जाति अहीर निवासी ग्राम मोमनपुर तहसील बहरोड जिला कोटपूतली– बहरोड राज0

---- प्रार्थी

|| बनाम ||

1. **तहसीलदार बहरोड जिला** कोटपूतली– बहरोड राज0

----अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0 राजस्व अधि0

उपस्थितः– श्री नवीन कुमार शर्मा वकील प्रार्थी
पैरोकार सरकार तहसीलदार

–: निर्णय :–

यह आज यह पत्रावली वास्ते **निर्णय** पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का **संक्षिप्त में प्रकरण** इस प्रकार से है, कि प्रार्थी वाके ग्राम मोमनपुर तहसील बहरोड का रहने वाला है। तथा आराजी खसरा नम्बर हाल **जमाबन्दी** खाता सं0 198 मे आराजी खसरा नम्बर 1699, 1700 एवं खाता स0 197 में आराजी ख0न0 1442, 1443, 1449, 1454, 1482, 1483, 1502 / 1938 1698, 1698 / 1983 , 1712 , 1713 एवं खाता वाके तलवाड , तहसील बहरोड जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 का खातेदार मिन प्रार्थी दर्ज रिकार्ड हैं। जमाबन्दी की नकल संलग्न है। **यह** है कि संवत 2076–2079 मे खाता **सं0 198 एवं खाता सं0 197 वाके ग्राम मोमनपुर तहसील** बहरोड मे हमारे खाते मे मेरे पुत्र का नाम राजस्व रिकार्ड मे निवासी मोमनपुर के स्थान पर नासरपुर गलत अंकित कर दिये। कि मिन प्रार्थी का वास्तविक निवास स्थान ग्राम मोमनुपर है प्रार्थी के आधार कार्ड पैन कार्ड पुराना राशन कार्ड वोटर लिस्ट व सभी दस्तावेज में **मोमनपुर** अंकित है। जबकि प्रार्थी का निवास स्थान राजस्व कर्मचारियो द्वारा बिना प्रार्थी के नाम की पुछताछ किये बिना मिन प्रार्थी को सुने ही मोमनपुर के सथान पर **नासरपुर** नाम दर्ज कर दिया गया जो नाम राजस्व रिकार्ड मे रिपीट होता चला आ रहा है। कि संवत 2076–2079 मे खाता **सं0 198 एवं खाता सं0 197 वाके ग्राम मोमनपुर तहसील** बहरोड मे हमारे खाते मे मेरे पुत्र का राजस्व रिकार्ड मे निवासी **मोमनपुर** के स्थान पर **नासरपुर** गलत अंकित कर दिये। जिसे दुरस्त कर **नासरपुर** के स्थान पर **मोमनपुर अंकित** किया जाना न्याय संगत है।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड (कोटपूतली-बहरोड)

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रिकार्ड कर अप्रार्थी पैरोकार सरकार को द्वारा सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार ने अपने जवाब मे अंकित किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चाहे गये अनुतोष न्यायालय श्रीमान क्षेत्राधिकर से संबधित है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी हल्का, रिपोर्ट कार्यवाही सरपंच जागुवास, रिपोर्ट आई0एल0आर0 बर्डोद, नकल जमाबन्दी संवत 2076–79 खाता सं0 197 , 198 , नामान्तकरण सं0 911 की प्रति, दान पत्र की प्रति, आदि पेश किये है।

हमने प्रार्थी के वकील की बहस सुनी तथा पत्रावली का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दान पत्र में प्रार्थी का निवास स्थान मोमनपुर अंकित है तथा रिपोर्ट पटवारी हल्का व रिपोर्ट आईएलआर मे भी अंकित किया गया है कि प्रार्थी का निवास स्थान मोमनपुर के स्थान पर नासरपुर गलत अंकित हो गया जिसे दुरस्त किया जाना न्यास संगत है पत्रावली पर प्रस्तुत दान पत्र में भी निवास स्थान मोमनपुर अंकित है। प्रार्थी के द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत संधारित किया गया है। चुंकि प्रकरण इस धारा के अन्तर्गत संधारित होता है। क्योकि इस धारा मे पूर्व मे दर्ज इन्द्राज मे किये गयें लिपिकीय /लेखीय त्रृटियों को दुरस्त किये जाने के प्रावधान है। यह प्रार्थना पत्र इन नियमों मे संधारित योग्य पाये जाने के कारण काबिल स्वीकार है।

– : आदेश : –

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 काश्तकारी स्वीकार किया जाकर आदेश प्रदान किये जाते है कि ग्राम तलवाड की आराजी वर्तमान खाता सं0 197 में रविकान्त पुत्र नरेश कुमार हिस्सा 9/80 जाति अहीर निवासी सा. नासरपुर खातेदार का नाम कलमजन किया जाकर उनके स्थान पर रविकान्त पुत्र नरेश कुमार हिस्सा 9/80 जाति अहीर निवासी सा. मोमनपुर तथा खाता सं0 198 में रविकान्त पुत्र नरेश कुमार हिस्सा 1/8 जाति अहीर निवासी सा. नासरपुर खातेदार के स्थान पर रविकान्त पुत्र नरेश कुमार हिस्सा 1/8 जाति अहीर निवासी सा. मोमनपुर खातेदार तहसील बहरोड राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे तथा तहसीलदार बहरोड को अहकाम जारी हों।

आज दिनांक 04.11.2025 को निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुल न्यायालय सुनाया गया ।

([illegible]किशोर मीणा)
(R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड, जिला कोटपूतली–बहरोड राज0